

न्यायालय : प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड,  
मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 726/2015 इ.फौ.

संस्थापन दिनांक : 28.09.2015

फाइलिंग नंबर : 230303013072015

म.प्र.राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

— अभियोजन

### बनाम

- 1—भूपेन्द्रसिंह पुत्र केदारसिंह गुर्जर उम्र 25 वर्ष
- 2—बट्टो उर्फ जोगेन्द्रसिंह गुर्जर पुत्र हेमसिंह गुर्जर उम्र 26 वर्ष निवासीगण ग्राम चन्दू का पुरा थाना गोहद जिला भिण्ड
- 3—रामनिवाससिंह पुत्र अमरसिंह गुर्जर उम्र 30 वर्ष निवासी बाबा कपूर वाली गली वार्ड नं० 8, गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

— अभियुक्तगण

( आरोप अंतर्गत धारा—294, 327(दो शीर्ष) भा०द०स० )

( राज्य द्वारा एडीपीओ— श्री प्रवीण सिकरवार )

( आरोपीगण द्वारा अधिवक्ता—श्री केशवसिंह गुर्जर )

### निर्णय

( आज दिनांक 03-08-2017 को घोषित )

आरोपीगण पर दिनांक 03.02.15 को रात्रि 8 बजे देशी शराब की दुकान के सामने बस स्टैण्ड गोहद में सार्वजनिक स्थल पर फरियादी बल्लू उर्फ धर्मेन्द्र गुर्जर एवं सोनूसिंह को मां-बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित करने एवं उसी समय फरियादी बल्लू उर्फ धर्मेन्द्र तथा आहत सोनूसिंह से अंग्रेजी शराब की बोतल की मांग करने एवं मांग की पूर्ति न होने पर फरियादी बल्लू उर्फ धर्मेन्द्र तथा आहत सोनू की डण्डों से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहति कारित करने हेतु भा०द०स० की धारा 294, 327(दो शीर्ष) के

अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि फरियादी बल्ली उर्फ धर्मेन्द्र एवं सोनू शराब ठेका गोहद में देशी शराब दुकान पर गद्दीदार का काम करते थे। दिनांक 03.02.15 को शाम 08:30 बजे वह और सोनू दुकान के सामने खड़े थे तभी आरोपी भूपेन्द्र, बट्टो एवं रामकिशन मोटरसाइकिल से आये थे और उससे दो अंग्रेजी शराब की बोतल की मांग की थी उसने कहा था कि उसके पास पैसे नहीं हैं तो आरोपी भूपेन्द्र उसे मां-बहन की गालियां देने लगा था जब उसने आरोपीगण को बोतल देने से मना किया था तो रामनिवास ने उसका गिरेवान पकड़ लिया था एवं बट्टो तथा भूपेन्द्र ने डण्डों से उसकी मारपीट की थी जब सोनू ने उसे बचाया था तो आरोपीगण ने उसकी भी मारपीट की थी। मारपीट में उसके छाती, बांये घुटने, दाहिने पैर की पिंडली एवं दाहिनी कोहनी पर तथा सोनू के दोनों पैरों में चोटें आई थी मौके पर जितेन्द्रसिंह और राजकुमार आ गये थे जिन्होंने घटना देखी थी। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना गोहद में अप0क0 23/15 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया था, साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे, आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

3. उक्त अनुसार आरोपीगण के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। आरोपीगण को आरोपित अपराध पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपीगण का अभिवाक अंकित किया गया।

4. यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में फरियादी धर्मेन्द्र एवं आहत सोनू द्वारा आरोपीगण से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेने के कारण आरोपीगण को भा0द0स0 की धारा 294 के आरोप से पूर्व में ही दोषमुक्त घोषित किया जा चुका है एवं आरोपीगण के विरुद्ध मात्र भा0द0स0 की धारा 327 (दो शीर्ष) के अंतर्गत विचारण शेष है।

5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुआ हैं:-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 03.02.15 को रात्रि 08:30 बजे देशी शराब की दुकान के सामने बस स्टैण्ड गोहद में फरियादी धर्मेन्द्र एवं आहत सोनूसिंह से संपत्ति उद्यापित करने के प्रयोजन से उनकी डण्डों से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहति कारित की ?

6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादी धर्मेन्द्र अ0सा01, आहत सोनू अ0सा02, को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपीगण की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी धर्मेन्द्र अ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से 2-3 साल पहले रात्रि 08-8:30 बजे की है। वह और सोनू शराब की दुकान में

सेल्समैन थे घटना वाले दिन वह दोनों शराब की दुकान के सामने खड़े थे तभी आरोपीगण वहां आ गये थे। आरोपीगण से उसका मुंहवाद हो गया था। आरोपीगण ने गाली गलौच कर दी थी अन्य कोई बात नहीं हुई थी उसने इसी बात की रिपोर्ट थाना गोहद में की थी जो प्र0पी-1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शामौका प्र0पी-2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि जमीन के संबंध में आरोपीगण ने उससे अंग्रेजी शराब की बोतल मांगी थी एवं इस सुझाव से भी इंकार किया है कि जब उसने आरोपीगण को बोतल देने से मना किया था तो आरोपीगण ने उसकी डण्डों से मारपीट की थी। उक्त साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि जब सोनू उसे बचाने आया था तो आरोपीगण ने सोनू की भी डण्डों से मारपीट की थी। उक्त साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसने उक्त बात अपनी रिपोर्ट प्र0पी-1 और पुलिस कथन प्र0पी-3 में पुलिस को लिखायी थी।

8. आहत सोनू अ0सा02 ने भी अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं व्यक्त किया है कि घटना वाले दिन उसका एवं बल्लू का आरोपीगण से मुंहवाद हो गया था आरोपीगण ने गाली गलौच कर दी थी अन्य कोई बात नहीं हुई थी। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपीगण ने अंग्रेजी शराब की बोतल मांगी थी एवं न देने पर आरोपीगण ने डण्डे से उनकी मारपीट की थी।

9. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है। अतः अभियोजन घटना प्रमाणित नहीं है।

10. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी धर्मेन्द्र अ0सा01 ने आरोपीगण से मुंहवाद होना एवं गाली गलौच होना तो बताया है तथा यह भी व्यक्त किया है कि अन्य कोई बात नहीं हुई थी। आहत सोनू अ0सा02 ने भी आरोपीगण से मात्र गाली गलौच होना बताया है। उक्त दोनों ही साक्षियों को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर उक्त दोनों ही साक्षियों ने इस तथ्य से इंकार किया है कि झगड़े के दौरान आरोपीगण ने उनसे अंग्रेजी शराब की बोतल मांगी थी एवं न देने पर उनकी मारपीट की थी। स्वयं फरियादी धर्मेन्द्र अ0सा01 द्वारा इस तथ्य से इंकार किया गया है कि उसने आरोपीगण द्वारा मारपीट करने वाली बात अपनी रिपोर्ट प्र0पी-1 एवं पुलिस कथन प्र0पी-3 में पुलिस को लिखाई थी।

11. इस प्रकार फरियादी धर्मेन्द्र अ0सा01 एवं सोनू अ0सा02 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपीगण द्वारा मारपीट करने से इंकार किया गया है। उक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि झगड़े के दौरान आरोपीगण ने फरियादी धर्मेन्द्र एवं आहत सोनू से अंग्रेजी शराब की बोतल की मांग की थी तथा न देने पर उनकी मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहति कारित की। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के अभाव में आरोपीगण को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं

किया जा सकता है।

12. यह अभियोजन का दायित्व है कि वह वह आरोपीगण के विरुद्ध अपना मामला प्रमाणित करे यदि अभियोजन आरोपीगण के विरुद्ध मामला प्रमाणित करने में असफल रहता है तो आरोपीगण की दोषमुक्ति उचित है।

13. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक 03.02.15 को रात्रि 08:30 बजे देशी शराब की दुकान के सामने बस स्टैण्ड गोहद में फरियादी बल्लू उर्फ धर्मेन्द्र एवं आहत सोनूसिंह से संपत्ति उद्घापित करने के प्रयोजन से उनकी डण्डों से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहति कारित की। फलतः यह न्यायालय साक्ष्य के अभाव में आरोपी भूपेन्द्रसिंह, बट्टो उर्फ जोगेन्द्रसिंह एवं रामनिवास सिंह को भा0द0स0 की धारा 327 (दो शीर्ष) के आरोप से दोषमुक्त करती है।

14. आरोपीगण पूर्व से जमानत पर है उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते हैं।

15. प्रकरण में कोई जप्तशुदा संपत्ति नहीं है।

स्थान – गोहद

दिनांक – 03.08.2017

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर,  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

सही / –

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

सही / –

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)